न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष. एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4019-एक / 12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9.11.12 एवं 21.11.12 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

1- ए. के. एस चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा --
चेयरमेन अनंत कुमार सोनी तनय श्री बी.पी. सोनी,
निवासी बिरला रोड सतना तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म.प्र ------ आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एन. त्यागी ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10-06-2014 को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 28 / अ-68 / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 9-11-12 एवं 2-11-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी [illegible] तहसीलदार को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया कि ग्राम मौजा शरगा [illegible] हल्का 60 की आराजी नं. 199 रकबा 0.214 हैक्टर दर्ज है इस आराजी के [illegible] रकबा 0.053 हैक्टर पर आवेदक द्वारा बाउण्ड्री बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है [illegible] प्रतिवेदन के आधार पर [illegible] नायब तहसीलदार [illegible]

कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । जिसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया । कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 9--11--02 द्वारा सिद्धार्थ देव नाम के व्यक्ति द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 21-11-12 द्वारा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन कि उनके द्वारा दिनांक 20-11-12 को प्रस्तुत आवेदन का निराकरण पहले किया जाये तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जाय अमान्य किया जाकर यह निर्देश दिए गए है कि आवेदक पहले ह.प. का प्रतिपरीक्षण करे तत्पश्चात आवेदन पत्र का निराकरण संभव होगा और प्रकरण मे आगामी तिथि नियत की गई है । नायब तहसीलदार के उक्त अंतरिम आदेशों के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय मे पेश की गई है ।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है ।

4-- अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत है । यह निगरानी अपरिपक्व है क्योंकि अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है । आवेदक जो तर्क इस न्यायालय के समक्ष उठा रहे हैं वे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में उठा सकते हैं । आवेदक जानबूझकर प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय मे नहीं होना देना चाहते हैं इसी कारण यह निगरानी पेश की गई है ।

5-- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण अतिक्रमण का होकर आलोच्य भूमि [illegible] राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ हुआ है [illegible] आदेश दिनांक 9-11-12 द्वारा तहसीलदार ने शिकायतकर्ता सिद्धार्थ देव सिंह द्वारा शासन की ओर से पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया है [illegible] आदेश दिनांक 21--11--12 द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें आवेदक ने [illegible] आवेदन का निराकरण पहले करने का अनुरोध किया है, के संबंध मे यह [illegible] दिए है कि आवेदक सर्वप्रथम हल्का पटवारी का प्रतिपरीक्षण करे [illegible] आवेदन का निराकरण संभव होगा । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए [illegible] न्यायालय द्वारा की [illegible] कार्यवाही में [illegible] प्रतीत [illegible]

आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है किंतु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत न कर इस न्यायालय में निगरानी पेश करना यह दर्शाता है कि वे प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखना चाह रहे हैं जो उचित नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही की पुष्टि की जाती है ।

(एम० के० सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर